"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी 2018 — फाल्गुन 2, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-23/2012/आ. प्र./1-3. — राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 13-23/2012/आ. प्र./1-3, दिनांक 22-8-2013 एवं आदेश क्रमांक एफ 13-23/2012/1-3, दिनांक 17-3-2017 को अधिक्रमित करते हुए एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत बनाये गए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 19 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्रों की जांच करने के लिए निम्नानुसार "उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति" का पुनर्गठन करता है :-

स. क्र. (1)	समिति में नामांकित अधिकारीगण (2)	अध्यक्ष/सदस्य (3)
(एक)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	अध्यक्ष
(दो)	संचालक, लोक शिक्षण छ. ग.	सदस्य
(तीन)	संचालक, भू-अभिलेख छ. ग.	सदस्य
(चार)	संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ. ग.	सदस्य - सचिव

(1)	(2)	(3)
(पांच)	संचालक, आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञ अधिकारी	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 13-23/2012/आ. प्र./1-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-23/2012/आ. प्र./1-3, दिनांक 21-2-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, प्रमुख सचिव.

Naya Raipur, the 21st February 2018

NOTIFICATION

No. F 13-23/2012/R. C./1-3.— The State Government, hereby, by superseding this department's notification No. F 13-23/2012/R. C./1-3, dated 22-08-2013 and Order No. F 13-23/2012/1-3, dated 17-03-2017 and by exercising powers conferred under sub-section (1) of Section 7 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013 (No. 13 of 2013), hereby, reconstitutes the High Power Certification Scrutiny Committee in accordance with the provisions of clause (a) of sub-rule (1) of rule 19 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Rules, 2013 framed under the provisions of sub-section (1) of Section 19 of the said Act for the Scrutiny of Social Status Certificates issued by the Competent Authority to the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as under :-

S. No. (1)	Nominated Officers in the Committee (2)	Chairman/Member (3)
(i)	Secretary, Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Development Department	Chairman
(ii)	Director, Public Instructions C. G.	Member
(iii)	Director, Land Records C. G.	Member
(iv)	Director, Tribal and Scheduled Caste Development C. G.	Member - Secretary
(v)	Two subject expert officers nominated by Director, Tribal Research and Training Institute C. G.	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.